

“लोक अदालत”

→ लोक-अदालत की संरचना:-

लोक अदालत की स्थापना के सम्बन्ध में विधिलेख सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा (19) की उपधारा (2)(3) एवं (4) में प्रावधान किये गये हैं। उपधारा (2) में प्रावधान किया गया है कि किसी क्षेत्र के लिए गठित की गई लोक-अदालत में ऐसी संरचना में सेवास्त या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिलेख सेवा समिति द्वारा इस प्रकार के गठन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपधारा (3)(4) में योग्यताओं का प्रावधान किया गया है।

→ अधिकारिता:-

लोक-अदालतों की अधिकारिता के सम्बन्ध में धारा 19(5) में उपबन्धित किया गया है कि लोक अदालत को उस मामले को विनिश्चित करने का सम्प्रदाता के माध्यम से निपटाया करने की अधिकारिता प्राप्त होती है जो:-

1.) किसी न्यायालय में विचारधीन है जिसके लिए कि लोक अदालत गठित की गई है।

2.) लोक अदालत का क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, परन्तु जो किसी न्यायालय में नहीं पहुँचा है।

3.) जो मामले कानून की परिधि में राष्नीनामा के योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे अपराधिक मामलों को इन अदालतों में नहीं निपटाया जा सकता है।

4.) पण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में राष्नीनामों के योग्य मामलों का वैधानिक दृष्टि से इन्तरेव किया गया है।

लोक अदालत के कार्य:-

लोक अदालत का मुख्य कार्य लोगों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को निपटाना है, साथ ही इसके लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी तैयार करना और लागू करना तथा विविध सामरता शिबिर का आयोजन भी करना इसका मुख्य कार्य है। लोक अदालत के अन्तर्गत पीड़ित पक्षों को निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता प्रदान की जाती है। जो कि विविध सेवा समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह समिति अधिवक्ता को किस पहले की गई है वह समिति पीड़ित पक्षों को उसके द्वारा किये गये गृहगतान को वापस कर देती है। अतः यह अदालत निम्न प्रकार के कार्य करती है जैसे -

- 1.) सामान्य जनता को विविध सामरता जारी करवाना।
- 2.) गांवों के अन्तर्गत विविध सामरता केंद्र बनाये जाते हैं। लोगों की तथा समस्याएँ हैं एवं उसका समाधान कैसे है, इसके सम्बन्धित जानकारी लोगों के मध्य बताना, अभिक्ताओं की कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराना, क्योंकि कुछ लोगों यह भी समझते हैं कि वेक से सम्बन्धित मामले इस प्रकार की अदालत में नहीं निपटाये जाते हैं, परन्तु यह गलत है कि लोक अदालत के द्वारा वेक से

"लोक अदालत"

→ लोक अदालत का अर्थ:-

लोक अदालत, अदालत का एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों की अपनी अदालत जैसे तो ये अदालतें 1987 में बना। इस प्रकार की अदालतों के अन्तर्गत लोगों के निराश्रित विधि सहायता प्रदान की जाती है। यदि लोक अदालत शब्द को अलग - अलग लिया जाये तो इसका आराधक अमरानी से बना है संज्ञता है-

{ ल - लोग, क - कैसे करे, अ - अपने
पा - दावे, ल - लड़ाई - झगड़ा, त - तथ }

इस प्रकार की अदालत में कोई एक व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होता है बल्कि इसमें सभी लोग मिलकर दोनों पक्षों के बीच समझौता करने हैं। लेकिन इन अदालतों की कानूनी रूप न मिलने के कारण धन - सामान्य में इसी कारण इन अदालतों की विधि स्वरूप प्रदान करने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण 1987 (यथा संशोधित 1994) में इन्हें स्थापन किया गया। अधिनियम की धारा 19 से 22 तक लोक - अदालतों के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है।

लोक अदालतों में दीवानी - प्रथिया संहिता के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों में है तथा इन्हें 1908 के सिविल मामले में ही करने की अधिकारिता मामलों की निस्तारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, जो कि

राष्‍ट्रीनामा के योग नहीं हैं।

→ लोक अदालत का उद्देश्य :-

लोक अदालतों की स्‍थापना का प्रमुख उद्देश्य उन गरीबों की जो अपनी आर्थिक क्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं तथा उनको पारिव न्याय दिलाना है, लोगों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्‍थापना हुई है। न्यायपालिका में बढ़ती हुई विचाराधीन मामलों की संख्या एवं विवादों के विचारण में होने वाले विद्यमान लम्बी समय तक मामलों का निस्तारण न होने के कारण पक्षकों में न्याय के प्रति हिनता बढ़ी है एवं आस्था कम हुई है। अतः मामलों के त्वरित निस्तारण एवं उचित न्याय देने के लिए उद्देश्य से न्याय की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विद्यार्थी शक्तियों में स्थानीय स्‍तर पर स्थानीय अदालतों का आयोजन किया।

→ लोक अदालतों का गठन, संरचना एवं अधिकारिता :-

गठन:-

विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित 1994) की धारा 13 की उपधारा (1) में उपविधि किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा पिला प्राधिकरण या उच्चतम - न्यायालय विधि सेवा समिति या अन्तर्गत तालुक विधि सेवा समिति या प्रशासित तालुक जैसे अन्तर्गत पर एवं ऐसे स्थानों पर जितने वह समझे लोक अदालत का गठन कर सकती है।

सम्बन्धित मुकदमें जमी आसानी से निपटाये जा सकते हैं।

द्वारा (19) के अन्तर्गत समाप्त सेवा संख्याओं पंचायतों का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत पथिकारियों वर्तमान जज अथवा अवकाश प्राप्त जज या कार्यशील वकील सदस्य होते हैं।

द्वारा (19)(5) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कॉन - कॉन से मामले जिनका अदालत में मुकदमा नहीं आया है निपटाया जा सकता है।

विधिलेख सहायता अधिनियम की द्वारा (20) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कॉन - से वाद इसके द्वारा निपटाये जा सकते हैं।

→ लोक अदालतों की योग्यताएँ:

1. लोक अदालतों की विशेषताएँ निम्नलिखित रूप से बतायी गयी हैं—
इससे मामलों का निपटारा पत्रकारों में आपसी समझौते अथवा राखीनामाओं के द्वारा किया जाता है।
2. इससे पत्रकारों के बीच कटुता को दूर कर उनमें मधुर सम्बन्ध पत्रकारों के बीच स्थापित करना का प्रयास करना। इससे व्यय जमी नाममात्र का होता है अर्थात् इसमें वादों का निपटारा में कीर्ति स्वर्ग नहीं होता।
3. मामलों का निपटारा तत्परता से ही जाता है अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है।
4. राखीनामा में न्यायिक अधिकारी, विश्व समाप्त सेवा आदि

अपनी आगीवरी मिभाते थे।

इस प्रकार लोक अदालत सरने, सुलभ एवं त्वरित न्याय का एक सशक्त तंत्र हो पंच परमेश्वर की न्याय व्यवस्था इसी का रूप है गांव में आव्य भी " जौपाल पर न्याय की व्यवस्था प्रचलित थी।

यह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके न किसी पक्ष की जीत होती है और न किसी पक्ष की हार इसलिए यह लड़ा जाता है कि -

" लोक अदालत का सार न जीत न हार "

→ लोक अदालत के लाभ:-

निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर लोक अदालत से प्राप्त लाभों की उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। सन् 1981-82 से 2001 तक पूरे देश में लगभग 4,690 लोक अदालत लगाई जा चुकी है। सन् 2000 तक उनके द्वारा 35,15,359 मुकदमों तथा 42029 मामलों को सुर्तिना से सम्बन्धित है। जिससे 210 करोड़ रुपये का हानि लोक अदालतों के द्वारा दिलाया जा चुका है। इसमें शरण के मुकदमों, जाह्लापी के मुकदमों, भी उनके द्वारा निपटाये गये हैं। शरण तथा अपराधिक मामलों से 2659812 मुकदमों निपटाये गये जिससे 16 करोड़ 20 लाख रुपये सरकार को मिल चुके हैं।

पाति-पतिन के बीच उत्पन्न हुए विवादों से सम्बन्धित मुकदमों को 30 प्रो के अन्तर्गत निपटारे का मुकदमों के बाद में इसका (लोक अदालत) का अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के मामलों अन्य अदालतों में लकी लगने पर भी याच ही इस प्रकार के मामलों में तबत न्याय की आवश्यकता है

देश भर में अन्तर्गत लोक सेवाओं में अर्द्ध राज्य की स्तरी के अन्तर्गत 30 प्रो की सर्वप्रथम स्थापना किया गया है जहाँ पर लोगों को शीघ्र व पर्याप्त न्याय इन अदालतों द्वारा दिया गया है, तथा आदमी को बहुत लम्बे समय तक कोई कचहरी के जकार नहीं लगाने पड़ते हैं।

→ लोक अदालत की शक्तियाँ :-

अधिनियम की द्वारा (22) में लोक अदालत की शक्तियाँ को वर्णित किया गया है -

1.) अधिनियम की द्वारा (20) एवं (21) के प्रयोगान्त लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 के अन्तर्गत (सिविल - न्यायालय) का वर्णित प्रदान किया गया है तथा लोक अदालत को निम्नलिखित विनिश्चय देने के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

- 1.) साक्षियों को सम्मान जारी करना एवं शपथ पर परीक्षण करना।
- 2.) लोक अदालत के दस्तावेज को ही प्रस्तुतीकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
- 3.) शपथपत्रों पर साक्ष्य गृहण करने का अधिकार प्राप्त है।

लोक अभिलेख को किसी न्यायालय या कायलिय से मंगवाने का अधिकार उपपुत्र वर्गीय शक्तियों के होते हुए श्री पुणेज लोक अदालत की विवादों के सुलझाने के सम्बन्ध में अपनी स्तंभ की प्रक्रिया में अपना स्वतन्त्र अधिकार है।

लोक अदालत की कार्यविधियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193, 219 एवं 228 के अन्तर्गत (न्यायिक कार्यविधि) माना गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 एवं अध्याय 26 के अन्तर्गत लोक अदालतों की सिविल कोर्ट की श्रेणी प्रदान की है।

अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त शक्तियों का प्राबधान सिविल प्रक्रिया संहिता में ही करें लोक अदालत सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अतः लोक अदालत में भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ निहित हैं।

→ लोक अदालत की आवश्यकता :-

भारतीय समाज में एक पुरानी कहावत है कि (विलम्ब से मिला न्याय न के बराबर होता है) अर्थात् विलम्ब न्याय को बिकल कर देता है। न्याय वही है जो समय पर होने लगा है और न्याय मिल जाना अधिक स्वच्छता हो गया है। ऐसी स्थिति में न्याय के प्रति आम आदमी की आस्था दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए वादकारियों को सस्ता, त्वरित एवं सुलभ न्याय मिले, जिससे लिए लोक अदालतों की आवश्यकता अनन्य

लोक अदालतों की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है, था वर्तमान भारत के संविधान में हमारे समाज में लोग पहले न तो ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे परन्तु वर्तमान समय में लोग अज काकी जागरूक एवं साक्षर हो गये हैं। जिन्हें अपने हितों एवं अधिकारों का पूर्ण ज्ञान है। अतः वह अपने हितों की परस्पर रक्षा के लिए समझ हो गये हैं साथ ही अपने हितों की परस्पर रक्षा करने के कारण समाज के लोगों के बीच लड़ाई - झगड़े बढ़े हैं और मुकदमों

अतः लोक अदालतों के द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। कुछ व्यक्तियों की ऐसी सोच समझ होती है कि इस प्रकार की अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि व्यक्तियों को न्याय सरल एवं उचित तथा कम समय में पिलाया जा।

भारत सरकार ने लोक अदालत के सम्बन्ध में विधिक सहायता अधिनियम की स्थापना की है जिसकी धारा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

विधिक सहायता अधिनियम की धारा (19) के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई है। प्रत्येक शहर के लिए जनपद स्तर तथा शहरीय स्तर पर लागू है।

धारा (19) के अन्तर्गत समाज सेवा संस्थाओं पंचायतों का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत पदाधिकारियों को वर्तमान व्यवस्था अथवा उन्नत प्राप्ति

लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का महत्व:-

(21) अधिनियम की द्वारा में लोक अदालत द्वारा पारित आदेश की साक्षिक महत्व को स्पष्ट किया गया है तथा लोक अदालत के आदेश को न्यायालय के आदेश की सहायता से समतुल्य ध्यान भी गई है कि लोक अदालत द्वारा पारित आदेश पीवानी न्यायालय द्वारा पारित डिफ़ी की वैधता रखता है। तथा सर्वम न्यायालय के आदेश परेखा प्रभाव लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का होता है। सभी पक्षकार उस आदेश अथवा डिफ़ी को मानने लिए बाबत होंगे।

21(2) यदि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों में सौजीनामा या समझौते हो जाता है तो कोर कोस अधिनियम की द्वारा (20) के अन्तर्गत दोनों पक्षकारों को अनादी कोस वापिस हो जाती है।

21(3) लोक अदालत द्वारा पारित आदेश अंतिम रूप से पक्षकारों को बाध्य करता है तथा लोक अदालत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब व्यक्ति आर्थिक स्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाते थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय सरकार ने 1987 में लोक अदालतों का आरंभ प्रस्तुत किया जिससे गरीब व्यक्तियों को सस्ता एवं त्वरित न्याय मिलना आरम्भ हो गया है जिससे गरीब व्यक्तियों को न्याय के प्रति आस्था बढ़ी है लेकिन इन लोक अदालतों के अधिनियम में सुधार की आवश्यकता अब भी है।

★ 1) लोक अदालत के आयोजन से पूर्व लोक सेवकों एवं पत्रकारों में एक ठोठ अंतरण होनी चाहिए जिससे शिवाव की व्यापकता की समझना आसान हो सके।

★ 2) लोक अदालतों की स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

★ 3) लोक अदालतों को कोई लेखा जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्राथमिक न्याय के सिद्धान्त के तहत लोक अदालतों को अपना निर्णय पदाधिकारियों की सहमति पर पारित करना पड़ता है। अतः दोनों पत्रकारों के मध्य लोक अदालत माध्यम काम करती है।

★ 4) लोक अदालतों को हर सप्ताह आयोजन किया जाना चाहिए तथा इनकी नियमित रूप से चलाया जाये।

★ 5) अन्य न्यायालयों की भाँति लोक अदालत में भी अपील की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

→ आगरा में लोक अदालत की स्थिति:-

देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया है वहाँ इनके सुखद परिणाम मिलते हैं। आगरा में लोक अदालत का आयोजन सन 1986 से शुरू किया गया है। अतः तक आगरा में 40 लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। लोक अदालतों के माध्यम से 81562 मुकदमों का निपटारा हुआ है। इसमें 1714 मौखिक दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमों की अवार्ड राशि दे दी गई है। 9, 54, 12, 390

74568 अपराध से सम्बन्धित मुकदमें लोक अदालत द्वारा आगरा में निपटाये जा चुके हैं।
जिनमें की 48, 18, 434 / रुपये का जुमाना राज्य सरकार प्राप्त हुआ है।

477 अपराध से सम्बन्धित मुकदमें लोक अदालत द्वारा तब मुकदमें सिलिल के तय किये गये हैं। 2594

अतः हम संतोष कह सकते हैं कि आगरा में लोक अदालत का आयोजन सुखद एवं सफल साबित हो रहा है जिससे इसकी आगरा में व्यक्तियों का लोक अदालत के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ रहा है। जिससे इसकी आगरा में माँग बढ़ रही है क्योंकि आगरा में कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या में निम्न श्रेणी की है जिसे सस्ता एवं सुलभ तब तब न्याय का परिकल्पना है जो लोक अदालत के माध्यम से ही दिया है।

लोक अदालत के प्रति सुझावः—

लोक अदालत के पृथक्करण के बाद न्याय के प्रति लोगों में भावना आयी है क्योंकि पूर्व में न्याय पाना जटिल समस्या थी। न्यायालयों में वादी की संख्या अधिक होने के कारण मुकदमें लम्बे चलते हैं जिससे व्यक्तित्व न्याय मिलने में अधिक शक्ति होती थी और समय भी अधिक लगता था।

अतः हम संतोष में कह सकते हैं कि आगरा में लोक अदालत का आयोजन सुखद एवं सफल साबित हो रहा है।

जज या न्यायिक तर्क सक्षम होते हैं।

द्वारा (19)(5) के अन्तर्गत यह बताया जाता रहा है कि लॉन से गान्ते हैं जिन पर यह लागू होता है जैसे लगभग मामले, रोटी मामले जिनका अदालत में मुकदमा नहीं आया है की भी इससे निपटाया जा सकता है।

साथ ही इससे (वाद विहीन दंड की उपयोगिता) व इनकी संख्या पर ध्यान डाला गया है। उम्मा कर्त है कि जिनके का कोई भी गान्त जुने जहाँ वाद न हो।

इस द्वारा के अन्तर्गत यह भी बताया गया है कि लोक अदालतों में पैदावे मामले तथा अपराध से सम्बन्धित मामलों के केस में समझौते नहीं हो सकते हैं।

विविध स्थायता अधिनियम की द्वारा (20) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि लॉन से वाद इसके द्वारा निपटारे जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि दोनों पक्ष राजी हो कि उनका वाद लोक अदालत में लाया जाये या कोई एक पक्ष इस सम्बन्ध में राजी हो तो इसके पक्षकार को इस अदालत द्वारा नोटिस भेजकर उसे बुलाकर उनका समझौता कराया जाता है।

इसके अन्तर्गत मामलों में यही भी उल्लेख किया गया है कि यदि न्यायाधीश यह समझते हैं कि किन्हीं मामलों को जैसे पति पत्नी से सम्बन्धित मामलों को लोक अदालत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

उपसंहार :-

इस प्रकार यदि देखा जाये तो लोक अदालतों को लोकल सर्विस का ही एक भाग ही। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य गरीबों को निरुद्ध विधि सहायता प्रदान करना तथा सरता एवं सुलभ तथा त्वरित न्याय दिलाना ही वाकि वह पर्याप्त न्याय प्राप्त कर सके।

★ इस प्रकार की अदालतों के द्वारा लोगों की पचास लाभ व न्याय दिलाने के लिए विधि सेवा समितियों, परिवार परामर्श केंद्रों, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की जा चुकी है जिनके द्वारा काकी व्यक्तियों के मुकदमों को जो कि अन्य अदालतों में लम्बित होते जा रहे हैं यदि अभियन्ता की ओर देखा जाये तो लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अदालत का रूप लेती नजर आ रही है।

★ क्योंकि अत लोगों का विश्वास व श्रद्धा इस प्रकार की अदालतों की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में लोक अदालतों का महत्व और भी बढ़ जायेगा। क्योंकि हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत किसान और मजदूर वर्ग का है जो कि आर्थिक कमी के कारण किसी न्यायालय में न्याय पाने में असमर्थ रहता है जूँकि लोक अदालत में न्याय पाने में असमर्थ है इसलिए उनका आयोजन गरीब व्यक्तियों के लिए ही किया गया है। इसलिए इसमें लोको की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो अभियन्ता में बहुत अधिक होगी।